जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनाँक – 17.08 .2022

अध्यक्षता – श्री युगल किशोर पंत (आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

स्थान – ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार, रूद्रपुर।

क्र. स.	बिन्दु	समस्या	अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	निराकरण
	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित उद्योग मित्र बैठक दिनांक 18.05.2022 का कार्यवृत्त इस जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर के पत्रांक 132 दिनांक 21.05.2022 के द्वारा सभी सदस्य गणों को बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।			
1	**सी0एस0आर0 के संबंध में**			मुख्य शिक्षा अधिकारी अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।
2	**महिला उद्यमी योजना 2015 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान दावों को पारित किये जाने के सम्बन्ध में।**	शासनादेश संख्या 2130/15/98/2015 दिनांक 03.11.2015 के द्वारा महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र इकाईयों को 6 प्रतिशत की दर सें अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख वार्षिक ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है।	उक्त शासनादेशानुसार महिला उद्यमी योजना 2015 अन्तर्गत 57 पात्र इकाईयों की ब्याज उपादान पत्रावली तैयार कर मुख्य कोषाधिकारी व अग्रणी बैंक प्रबन्धक सें परीक्षण करा लिया गया है। उक्त पत्रावलियों को जिला उद्योग मित्र समिति अनुमोदन के उपरान्त उद्योग निदेशालय अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना है। अतः 57 पात्र इकाईयों की ब्याज उपादान दावे की धनराशि रू0 1,46,42,810.00 समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
3	**काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0, काशीपुर (यूनिट-2) की स्थापना में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में**	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 द्वारा उत्तराखण्ड शासन के भूमि क्रय आदेश पत्रांक 120/XVIII(II)/2020 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा 20.4135 हेक्टे0 कृषि भूमि क्रय कर राज्य सरकार द्वारा घोषित "मेगा इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट पॉलिशी-2015" के अन्तर्गत ग्राम गिरध्याई, बघेलेवाला एवं शिवलालपुर अमरझण्डा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 (यूनिट-2) के नाम से एक नए उद्योग की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त क्रय की गई भूमि के मध्य निम्नलिखित भूमि ग्राम सभा की आ रही है जिसके बदले में इकाई भूमि क्रय करके देने का तैयार है।	बैठक में उपजिलधिकारी काशीपुर को सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिये गये।	उपजिलधिकारी काशीपुर अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।
4	**जिला पंचायत चौकी द्वारा वसूली जाने वाली धनराशि को बंद किए जाने के संबंध मे**	बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा किसी भी मार्ग पर अपनी चौकियों के माध्यम से माल भाड़ा सुविधा शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी परंतु कुछ समय से जसपुर से ठाकुरद्वारा राज्य मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा चौकी स्थापित की गई है, जिससे वसूली की जा रही है। उक्त चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कराये जाने का अनुरोध किया गया।	बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे उक्त के संबंध में संबंधित मार्ग की जांच कराकर अवगत करायें ताकि उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत , ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2198 दिनाँक 03.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्मित लदान – ढुलान उपविधियां उत्तराखण्ड गजट 14 नवम्बर 2020 में प्रकाशित व जिलाधिकारी महोदय ऊधम सिंह नगर के कार्यालय पत्र संख्या 1447 दिनांक 05 अगस्त 2017 द्वारा लदान दुलान शुल्क वसूली के अडडे चिन्हित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी , पुलिस अधीक्षक व अपर मुख्य अधिकारी की एक कमेटी का गठन

				किया गया था . कमेटी के सदस्यों द्वारा लदान दुलान के अडडे चिन्हित किये गए थे। जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा विकास खण्ड जसपुर का वर्ष 2022–23 से 2023–2024 तक के लिए लदान दुलान शुल्क वसूली हेतु विकास खण्ड जसपुर में ग्राम तालबपुर , नादेही , कुण्डा ठाकुरद्वारा मार्ग का ठेका श्री जावेद अली पुत्र श्री बुनियाल अली ग्राम गुलडिया काशीपुर के नाम स्वीकृत किया गया है।
5	**इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन करने के सम्बन्ध में**	अध्यक्ष के के0जी0सी0सी0आई0 बैठक में अवगत कराया गया कि आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में इंजीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में श्रम संविदा कार्मिकों को रखने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि उत्तराखंड में इन उद्योगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित सहायक श्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की इंजीनियरिंग उद्योगों में दुर्घटना होने की संभावना अधिक होने के कारण संविदा श्रम शक्ति का नियोजन नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर उनकी समस्या का समाधान करने की कृपा करें।	बैठक में सहायक श्रम आयुक्त, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि इस सन्दर्भ में एक पत्र शासन/मुख्यालय को प्रेषित कर समुचित मार्गदर्शन लिया जाये।	सहायक श्रम आयुक्त अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।
6	**सीडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में**	के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों के प्रोजेक्ट कम्पलीट होने पर सीडा द्वारा कम्पलीशन सर्टीफिकेट दिए जाने का प्रावधान है जो कि उद्योगों द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक अति आवशयक सर्टीफिकेट माना जाता है। परन्तु कई इकाइयों के प्रोजेक्ट कई वर्ष पूर्व ही कम्पलीट हो गए हैं लेकिन अभी तक सीडा द्वारा उन्हें कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रदान नहीं किए गए हैं। इससे उन्हें ऋण इत्यादि लेने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिडकुल की ऐसी लगभग 40 फाईलें सीडा के पास लम्बित हैं। कुछ उद्योगों के प्रोजेक्ट तो 2015 में ही कम्पलीट हो गए थे। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी करने हेतु सीडा को निर्देशित किया जाये।	सीडा के अस्सिटेन्ट आर्किटेक्ट श्री संजय शर्मा को निर्देशित किया गया कि आतिथि तक सीडा में कम्पलीशन सर्टीफिकेट के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने आवेदन पत्रों पर प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है एवं कितने सीडा स्तर पर लम्बित है, कि सूची कारण सहित तैयार कर आगामी बैठक में अवगत करायेंगे।	अस्सिटेन्ट आर्किटेक्ट सीडा अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।

7	**रूद्रपुर में वेयरहाऊस की स्थापना के सम्बन्ध मे**	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि रूद्रपुर में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को देखते हुए यहाँ पर वेयरहाऊसों की व्यवस्था नहीं है जिससे औद्योगिक इकाईयों में निर्मित तैयार माल उनमें सुरक्षित रखा जा सके तथा उसके बाद वहीं से उसे बाहर के लिए डिस्पैच किया जा सके। रूद्रपुर में वस्तुओं का ज्यादा परिमाण में भण्डारण करने हेतु वेयरहाऊसों का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। ये निर्यात को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक उपयोगी साबित होंगे।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिंडकुल पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि जिला विकास प्राधिकरण से सम्पर्क कर ज्ञात करें कि रुद्रपुर शहर में वेयर हाउस हेतु कोई कार्य योजना तैयार है अथवा नहीं।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर /जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।
8	**काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की समस्याओं के सम्बन्ध मे**	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि काशीपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में सड़कों एवं नालियों के ध्वस्त होने से बरसात का एवं उद्योगों से निकलने वाला पानी औद्योगिक आस्थान की सड़कों में ही भरा रहता है। इससे यहाँ पर कार्यरत उद्योगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि उक्त औद्योगिक आस्थान में सड़कों की मरम्मत एवं ध्वस्त नालियों की तत्काल सफाई एवं निर्माण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाये।	बैठक में उक्त संस्था के संबंधित अधिकारियों से जानकारी चाही गई, जिसमें संविदा पर नियुक्त कार्मिक को बैठक में भेजा गया था, जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा रोष प्रकट किया गया तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल काशीपुर को निर्देशित किया गया कि आगामी किसी भी बैठक में संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के स्थान पर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को ही बुलाया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर द्वारा अपने पत्र 520 दिनॉक 16.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल काशीपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बाजपुर – 1 (पीपलिया) एवं बाजपुर –2 (बेरिया) आते हैं जिनमें अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य कार्यदायी संस्था WAPCOS द्वारा किया जा रहा है।
9	**मैथनॉल के लाईसेन्स की वैधता 5 साल के लिए किये जाने के सम्बन्ध में**	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अनुरोध किया गया कि उद्योगों में उपयोग होने वाले मैथनॉल लाईसेंस की वैधता केवल 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष बाद पुनः लाईसेन्स जारी कराने में उद्यमियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त लाइसेन्स की वैधता 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए।	बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दु पर इस बैठक के सन्दर्भ से एक पत्र शासन/मुख्यालय को प्रेषित करते हुए इसकी अद्यतन सूचना सदस्य सचिव को उपलब्ध करायेंगे।	जिला आबकारी अधिकारी अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।
10	**नॉन अटेटमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा**	क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया काशीपुर ढकियागुलाबों मार्ग पर 1.5 कि0मी0 तक वृक्षारोपण किया जाना है, जिसे जल्द ही आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों, नगर निगम, लो0नि0वि0 एवं वन विभाग के साथ बैठक कर जिसमें औद्योगि आस्थानों, इकाईयों के आस–पास एवं मार्गों पर वृक्षारोपण किये जाने पर पर चर्चा कर कार्यवाही की जायेगी।	उक्त के बैठक में उपस्थित उद्यमियों से अनुरोध किया गया कि वे उनकी इकाई में उत्पादित वेस्ट को स्वयं मैनेज करें एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर, सितारगंज, काशीपुर को भी निर्देशित किया गया कि वे वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्य योजना तैयार करें ताकि उत्पादित वेस्ट का निस्तारण इस प्रकार हो सके कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव न्यून हो सके। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं नियन्त्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि औद्योगिक इकाईयों की रैंडमली चैकिंग की जाये एवं वेस्ट निस्तारण में अनियमित्ता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।	**1–क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।

11	**महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में**	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अपने संख्या 295 दिनॉक 19.02.2022 से अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 24.850 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 11 से 18.500 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। बैण्10ण्000 जव 13ण्700. उक्त प्रभाग का आगणन मुख्य अभियन्ता के पत्रॉक 2279 / 01याता–हल्द्वानी / 2019 दिनॉक 11.6.2021 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है, जिस पर शासन में आयोजित व्यय वित्त समिति में मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के पुनः निर्माण की स्वीकृति का निर्णय लिया जा चुका है। आतिथ तक स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय संसाधनों से गड्डे भरान / खड़ंजा लगाकर यातायात सुचारू किया जा रहा है। बैण्13ण्700 जव 16ण्000. उक्त प्रभाग का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्रॉक 4975 / 01 याता–हल्द्वानी दिनॉक 05.10.2021 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है, जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। इस मार्ग पर भी वर्तमान में विभागीय संसाधनों से गड्डे भरान / खड़ंजा लगाकर यातायात सुचारू किया जा रहा है। बैण्16ण्000 जव 18ण्625. मार्ग के इस प्रभाग के पुनः निर्माण की प्रक्रिया राज्य योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है, जिसमें डी0बी0एम0 प्रथम लेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।	बैठक में सदस्य सचिव, को निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भविष्य में कराया जाये। साथ ही उक्त स्थलीय निरीक्षण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को सम्मिलित किया जाये।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अपने संख्या 1458 दिनॉक 16.08.2022 से अवगत कराया गया है कि महुआखेडागंज रेलवे कासिंग से खाईखेडा तक मार्ग की कुल लम्बाई 24.850 किमी है। मार्ग के किमी 11 से 18.500 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। जिसकी चौनेजवाईज स्थिति निम्नवत है। (1) चै 10.00 से 13.700 – उक्त प्रभाग का आगणन मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 2270 / 01 दिनांक 11.06.21 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। आतिथि तक स्वीकृति आपेक्षित है। (2) चै0 13.700 से 16.000 – उक्त प्रभाग के 2.30 किमी लम्बाई के पुनः निर्माण हेतु रू0 452.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 30.08.2022 को प्राप्त कर खोली जानी है। (3) चै0 16.00 से 18.625 – उक्त मार्ग के इस प्रभाग के पुनः निर्माण का कार्य माह अप्रैल 2022 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है ।
12	**उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में**	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा बैठक में अवगत कराया है कि 33 / 11 के0वी0 उप संस्थान दानपुर में 08 एम0वी0ए0 पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि 12.5 एम0बी0ए0 कर दी गई है एवं दानपुर बिजलीघर से निकलने वाले औद्योगिक पोषक पर जो घरेलू संयोजन जुड़े हुए हैं, उनको औद्योगिक पोषक से अलग करने हेतु प्रांकलन तैयार कर अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है। दानपुर औद्योगिक पोषक की लम्बाई ज्यादा होने के कारण पोषक को दो भागों में करने एवं कण्डक्टर बदलने हेतु प्रांकलन तैयार कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा इस कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित कर ली गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 01 माह के अन्तर्गत	बैठक में अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 को निर्देशित किया गया कि बिजली की कटौती से 06 से 08 घण्टे पूर्व संबंधित क्षेत्र की इकाईयों को अवगत कराया जाये ताकि उनके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया तय समय से पूर्व ही रोक दी जाये। मै0 उमा शक्ति स्टील, बाजपुर सहित जो फीडर नीचे लटके हुए हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनको सही करने एवं लाइनों की लोपिंग चोपिंग करायें। साथ ही जिन स्थानों पर बिजली के तारों के नीचे बड़े पेड़ लगे हुए हैं उनको हटाने / छटाई करने हेतु वन विभाग को इस बैठक का सन्दर्भ देते हुए पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करने हेतु अवगत करायें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 5898 दिनॉक 06.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल सितारगंज में यू.पी.आर.एन.एन द्वारा कराए जा रहे 33 / 11 केवी स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। **2 – अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र सं0 1801 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क पर पहुंची पेड़ों की टहनियों को हटाने हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करा कर वन विभाग को अवगत कराया जाता है। **3– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड,**

		कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।	प्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0, समस्त अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0, ऊ0सिं0नगर को निर्देशित किया गया कि जहां–जहां सड़कों पर पेड़ों की टहनियां बढ़ कर सड़क तक पहुंच गई हैं, उनकी छटाई हेतु संबंधित विभाग/संस्था को अवगत कराते हुए छटाई का कार्य कराना सुनिश्चित करें।	**रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र सं0 3436 दिनांक 16–08–2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अविरल एवं विरल विधा के उद्योगों में दिनांक 16.07.2022 से विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। फर्नेस इकाईयों में लगभग 5 से 6 घण्टे की विद्युत कटौती की जा रही है। उपरोक्त विद्युत कटौती देहरादून स्थित स्टेट कंट्रोल रूम के निर्देशानुसार की जा रही है । **4– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितररण खण्ड, रूद्रपुर** के माध्यम से अधि0 अभि0 वि0वि0ख0 सितरगंज से संबंधित बिन्दु (दानपुर औद्योगिक पोषक की लम्बाई ज्यादा होने के कारण आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में) के विषय में अवगत कराया गया है कि उक्त लाईन में दिनांक 03.07.2022 को अनुरक्षण एवं लौपिंग चौपिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है दिनांक 04.08.2022 को Long Span में विद्युत पोल स्थापित कर दिये गये हैं। कई स्थानों पर खेतों में फसल होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा कार्य करने में आपत्ति की जा रही है। अतः फसल कटने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा। **4– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितररण खण्ड, रूद्रपुर** के माध्यम से अधि0 अभि0 वि0वि0ख0 सितरगंज से संबंधित बिन्दु (मै0 उमा शक्ति स्टील, बाजपुर के समीप नीचे लटके हुए विद्युत फीडर के सम्बन्ध में) के विषय में अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य हेतु रु0 69.00 लाख का अनुमोदन प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है एवं अग्रिम सप्ताह से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।
13	**सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में**	एस0ई0डब्लू0एस0 के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि सिडकुल में उद्योगों बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। रात्रि के समय इन कार्मिकों की सुरक्षा एवं ट्रेफिक की व्यवस्था हेतु सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित कराया जाना चाहिये। ताकि कार्मिकों की लूटपाट की घटनायें कम हो एवं ट्रेफिक भी व्यवस्थित रह सके।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उक्त बिन्दु पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।

14	**मेट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट बनाने के सम्बन्ध मे**	एस0ई0डब्लू0एस0 के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में कार्यरत अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारी मैट्रोपोलिस सिटी एवं ओमैक्स रिवियेरा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये आते जाते हैं। मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट नहीं होने की वजह लगभग एक किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः अनुरोध है कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट देने की स्वीकृती नही मिलती है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेड लाईट/ट्रेफिक लाईट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कि जाये ।	बैठक में उक्त बिन्दु पर प्रबन्धक एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेट्रोपोलिस से आगे बने कट पर ट्रेफिक लाईट लगाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की जाये एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि उक्त मार्ग पर जगह–जगह पर कट होने के कारण ट्रैफिक की निरन्तरता बाधित होगी, जिस कारण कट लगाने के स्थान पर ट्रेफिक लाईट लगाने की व्यवस्था एन0एच0ए0आई0 द्वारा की जायेगी।	प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अद्यतन स्थिति से अवगत कराये।
15	**सिड़कुल पंतनगर में विद्युत व्यवस्था के संबंध में**	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि 248 सोडियम लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तित किया जा चुका है। साथ ही Dabur Chowk - Parley Chowk, HCL Chowk - Truck Parking Area, Parking Area - Ban Shakti Mandir, Voltas Chowk - Tata Gate Service Road तक सभी लाईटों की मरम्मत और रख रखाव का कार्य गतिमान है एवं Voltas Chowk - Tata gate service road, Dabur area, Sector-09, Concor Company, Hndustan Zinc के क्षेत्र में मरम्मत और रखरखाव का कार्य कर दिया गया है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देश दिये गये कि स्ट्रीट लाइटों की समस्या सुनने हेतु दूरभाष नम्बर आरक्षित करेंगे जिसे समस्त उद्योगों से संबंधित प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाये एवं एक पंजिका तैयार करें जिसमें स्ट्रीट लाइटों से सम्बन्धित समस्याओं/निस्तारण के विवरण को दर्ज किया जाये व आगामी बैठक में इसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।
16	**सिडकुल पंतनगर में सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि महालक्ष्मी रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सिडकुल के मुख्य मार्ग की मरम्मत व पूनर्निर्माण हेतु मशीनें कार्यस्थल पर पहुचँ चुकी हैं तथा आगामी सप्ताह के भीतर नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। साथ ही सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी सिडकुल पन्तनगर के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल के अन्दर चल रहें अनुरक्षण कार्यों की सही से समीक्षा न होने के कारण कार्य लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। इस हेतु पूर्व में सिडकुल अनुरक्षण एवं रख रखाव कमेटी	बैठक में निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक 15 दिन में आयोजित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्योग मित्र बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की जा सके।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि महालक्ष्मी रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सिडकुल के मुख्य मार्ग में वर्तमान में सडक की मरम्मत व पुर्ननिर्माण का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्षाऋतु के पश्चात् कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

		भी बनाई गई थी परन्तु उक्त कमेटी की नियमित बैठक न होने के कारण कार्यों की समीक्षा नहीं हो पा रही है।		
17	**सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि कुल 35 दुकानों में से सिडकुल के 05 सैक्टरों में 08 दुकानें आवंटित की जा चुकी है साथ ही पार्किंग में भी दुकान आवंटित की गई है ताकि बाहर से आने वाले वाहन चालकों/सहायकों को भोजन आदि उपलब्ध हो सके। शेष दुकानों के आवंटन हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 134/क्षे0प्र0/सिडकुल/2022 दिनांक 07.05.2022 के माध्यम से सिडकुल मुख्यालय, देहरादून को अग्रसारित कर दी गई है। आवंटन हेतु टैन्डर की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर गतिमान है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में कार्यशील दुकानों के आस–पास फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिये जायें ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि कौन–कौन सी दुकानें कार्याशील हैं।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में सिडकुल पन्तनगर में फैसिलिटी ब्लॉक के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन हेतु रिक्त दुकानों की सूचना/आख्या क्षेत्रीय कार्यालय पन्तनगर के द्वारा सिडकुल मुख्यालय देहरादून को अग्रसारित कर दी गयी है। आवंटन हेतु टैन्डर की प्रकिया मुख्यालय स्तर से सम्पन्न की जाती है जो कि गतिमान है।
18	**सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि सिडकुल के मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगा दिये गये हैं, जिनका परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है परीक्षण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त एक कन्ट्रोल क्षेत्रीय कार्यालय में एवं एक कन्ट्रोल पुलिस चौकी में दे दिया जायेगा। साथ ही बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि कई ट्रक कम्पनियों में सामान उतारने के बाद आगामी बुकिंग मिलने तक सिडकुल की सड़कों पर ही खड़े रहते हैं, चूंकि इस क्षेत्र में आर0टी0ओ0, रूद्रपुर द्वारा चालान नहीं किया जाता है। इस कारण सिडकुल के आन्तरिक मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिये गये कि आर0टी0ओ0, रूद्रपुर से इस सम्बन्ध में वार्ता कर सिडकुल की आन्तरिक सड़कों पर खड़े ट्रकों का चालान कराया जाये तथा नो पार्किंग जोन के बोर्ड भी लगाये जाये। औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे भी उनकी इकाई से सम्बन्धित वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें ताकि सड़के आवागमन हेतु सुचारू रहे सके। इस हेतु सम्बन्धित वाहन चालकों को भी जागरूक किया जाये।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल द्वारा समस्त औद्योगिक इकाईयों को वाहन अपनी इकाई की पार्किंग में खडे करने एवं इकाई में माल छोडने एवं ले जाने वाले वाहनों को रोड में न खडे करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। साथ ही औद्योगिक एसोसियेशनों के साथ एवं ट्रांसपोर्टर्स के साथ ए0आर0टी0ओ0 महोदय की अध्यक्षता में बैठक की जा चुकी है। वर्तमान में ए0आर0टी0ओ0 महोदय एवं पुलिस चौकी द्वारा मुख्य मार्गो में खडे वाहनों का चालान काटने की कार्यवाही भी की जा रही है। **2–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 7170 दिनॉक 05.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल पंतनगर (औद्योगिक क्षेत्र) में नो पार्किंग पर खड़े वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही कर 198 चालान किये गये है, एवं प्रवर्तन की कार्यवाही निरन्तर जारी है ।

19	**सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध मे**	बैठक में उपस्थित एआरटीओ–ई, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि हल्द्वानी से सिडकुल एवं किच्छा से सिडकुल का मार्ग नोटीफाईड एरिया है, जिस कारण उक्त मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें ही वर्तमान में संचालित हो सकती है एवं ये बसें सिडकुल को लिंक करते हुए ही निकलती भी है। सिटी बसें इस मार्ग पर नहीं चलाई जा सकती।	बैठक में एआरटीओ–ई को निर्देशित किया गया की प्राइवेट बसों के प्रतिनिधियों से सिडकुल के आन्तरिक मार्गों पर कर्मचारियों के लिये ही बसें संचालन के सम्बन्ध में वार्ता करें एवं प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करें ताकि कर्मचारियों को आवागमन में सुविधा हो सके।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में सिडकुल में इन्टरसिटी बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है । **2–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 7170 दिनॉक 05.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त मार्गो पर बसों के संचालन हेतु दिनांक 25.06.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, अध्यक्ष इण्टरसिटी बस सेवा रूद्रपुर की उपस्थिति में एक मीटिंग की गयी। दिनांक 29.07.2022 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ऊधमसिंह नगर, पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर, आरएम सिडकुल एवं अध्यक्ष इण्टरसिटी बस सेवा, रूद्रपुर की उपस्थिति में सर्वे किया गया तथा दिनांक 01.08.2022 को मेयर, नगर निगम रूद्रपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), आरएम सिड़कुल एवं सिड़कुल एशोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सिडकुल आन्तिरिक क्षेत्र में 12 बसों के संचालन का शुभारम्भ किया गया है।
20	**रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में**	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग हेतु पिटकुल द्वारा रू0 249.00 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है, जो सिडकुल मुख्यालय देहरादून प्रेषित कर दिया गया है। कार्य सम्पादन हेतु सिंचाई विभाग से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यूपीसीएल रूद्रपुर से आख्या प्राप्त नहीं हो पाई है। अधीक्षण अभियन्ता यूपीसीएल द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में दिनांक 19.05.2022 को आख्या क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तगर को प्रस्तुत कर दी जायेगी।	बैठक में अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर एक माह के भीतर ले–आउट व आख्या तैयार कर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि बाईपास रोड हेतु पूर्व में प्रान्तीयखण्ड लो0नि0वि0 रूद्रपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु एस0ओ0आर0 की दरों परिवर्तित हो जाने के कारण लो0नि0वि0 द्वारा पुनः ले–आउट प्लान उपलब्ध कराया गया है जिस पर कार्यवाही गतिमान है। **2–अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र सं0 1801 दिनांक 0808.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि एस0ओ0आर0 की दरें परिवर्तित हो जाने के कारण पुनः ले–आउट प्लान एवं बाईपास के निर्माण हेतु प्रथम चरण का आगणन सिडकुल पंतनगर को उपलब्ध करा दिया गया है।

				3– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितररण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्र सं0 3436 दिनांक 16–08–2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि साईट निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर पत्रांक 3100 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर को रू0 4700835.00 का मांग पत्र प्रेषित कर दिया गया है। धनराशि वांछित है।
21	**Foot over Bridge के संबंध में**	बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपस्थित प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के प्रस्ताव मुख्यालय स्तर से अनुमोदित हो चुका है, जिसके टैण्डर आयोजित किये जाने हैं।	बैठक में प्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि माह मई 2022 तक टैण्डर प्रकिया सम्पन्न करा दी जाये एवं इसके उपरान्त भी कार्य को नियमानुसार समय निर्धारित करते हुए किया जाये ताकि आवागमन में समस्या उत्पन्न न हो सके।	प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अद्यतन स्थिति से अवगत कराये।
22	**ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से आई0आई0ई0 के समस्त सेक्टर के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से राजस्व विभाग से सम्पर्क कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को प्रथम चरण में सिडकुल द्वारा रू0 7.53 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य का विस्तृत सर्वे कर निर्माण कार्य हेतु आगणन जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	बैठक में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि माह जून 2022 तक उक्त कार्य का आगणन तैयार कर टैण्डर आयोजित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्य आरम्भ कराया जा सके।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 449 दिनॉक 10.08.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि लो0नि0वि0 को प्रथम चरण में सिडकुल द्वारा रू0 7.53 लाख का भुगतान किया जा चुका हैं तथा लो0नि0वि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि ई0एस0आई0सी0 अस्पताल को सिडकुल को जोडने हेतु कल्याणी नदी के पुल एवं मार्ग के सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है तथा पुल डिजाइन हेतु निविदा आमंत्रित कर दी गयी है। कार्य लो0नि0वि0 स्तर पर लम्बित है। **2–अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र सं0 1801 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ई0एस0आई0सी0 अस्पताल को सिडकुल से जोड़ने हेतु कल्याणी नदी के पुल एवं मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य करा लिया गया है। पुल के डिजाईन हेतु कन्सल्टेंट से निविदा आमंत्रित कर ली गयी है। शीघ्र डिजाईन प्राप्त कर आगणन प्रेषित कर दिया जायेगा।
23	**सिडकुल सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की खराब स्थिति के संबंध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय, सितारगंज से सिडकुल की आन्तरिक सड़कों पर खनन में प्रयुक्त हो रहे वाहनों को रोकने तथा रूट मैनेजमेन्ट हेतु एस0एच0ओ0 सितारगंज को निर्देशित किया जाने का अनुरोध किया गया है।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज एवं अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग के हस्तांतरण के सम्बन्ध में शासन/मुख्यालय स्तर से सूचना प्राप्त कर आपस में एक बैठक आयोजित करें एवं प्रकरण को निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिये गये कि उपजिलाधिकारी,	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अपने पत्र 5898 दिनॉक 06.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल मुख्यालय देहरादून में दिनांक 28 जून 2022 को महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग नैनीताल के साथ हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित मार्ग को नए सिरे से क्रस्ट डिजाइन करते हुए डीपीआर गठित कर ली गई है तथा

			सितारगंज से सम्पर्क कर उक्त मार्ग पर जे0सी0बी0 से गहरे गड्डे करा दिये जाये ताकि खनन वाहन इस मार्ग पर न आ सके।	उक्त कार्य को केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है मार्ग की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।
24	**एल्डिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में**	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीसीएल द्वारा सब–स्टेशन की ओवरहैड लाईन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा आर0एम0यू0 की टेस्टिंग और कॉम्यूनिकेशनिग कार्य प्रगति पर है, जो इस सप्ताह के अन्त में 33 के0वी0 ट्रांसफर तक केबिल बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही 30 जून, 2022 तक प्लास्टिक पार्क के समीप 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन को सिडकुल/यूपीसीएल को हस्तगत कर दिया जायेगा।	बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों के अनुरोध पर यूपीआरएनएन, यूपीसीएल एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल की एक पृथक बैठक का आयोजन किये जाने व लम्बित कार्यों को नियत समय पर पूर्ण कराया जाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को दिये गये।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 5898 दिनॉक 06.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि – 1. प्लास्टिक पार्क के समीप एक सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 2. सभी इनकमिंग आउटगोइंग केबिल्स को डाल दिया गया है। 3. वीएलबी आर.एम.यू स्विच चार्जेस को स्थापित कर दिया गया है। 4. Meggring and Testing कार्य प्रगति पर है। 5. 20 सितंबर, 2022 तक एक सबस्टेशन और ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा। **2– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितररण खण्ड, सितारगंज** अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे। **3–यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली** अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
25	**सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में**	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सितारगंज द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि अन्तर्गत मार्ग को टू–लेन विथ पेब्ड सोल्डर में स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव जिसमें अनुमानित लम्बाई 24 किमी एवं लागत रू0 85.00 करोड़ का प्रेषित किया गया है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त मार्ग में सड़क की मरम्मत कर मार्ग को यातायात हेतु सुविधाजनक बनाया गया है।	बैठक में अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 सितारगंज को निर्देश दिये गये कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक के मार्ग की फोर लाइन हेतु ऐले प्रक्रिया कराकर 02 लेन बनाये जाने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया आरम्भ करा दी जाये एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया कि औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ फेज 1 एवं 02 में साफ सफाई तथा सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण करने उपरान्त आख्या प्रस्तुत करें ताकि समस्या के समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा सके।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 5898 दिनॉक 06.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं कार्यवाही लोक निर्माण विभाग के स्तर से की जानी है। **2– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खटीमा** द्वारा अपने पत्र सं0 1556 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि रामनगर–कालादुंगी, चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–41) के अन्तर्गत सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के किमी 96 से 111 तक कुल 15.00 किमी लम्बाई में मार्ग के डामरीकरण का कार्य कराया गया है एवं मार्ग की सतह यातायात हेतु सुलभ है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (CRIF) के अन्तर्गत Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव मार्ग की 24.00 किमी लम्बाई हेतु रू0 85.00 करोड़ का

				आगणन तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0 रूद्रपुर के पत्रांक सं0 2042 दिनांक 27.07.2022 द्वारा प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
26	**सिडकुल परिसर में धरना/आन्दोलनों को रोकने के संबंध में**	अध्यक्ष एस0ई0डब्लू0एस0 एवं अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अनुरोध किया गया कि सिडकुल परिसर में आये दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, जिससे इकाई के संचालन एवं आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है जबकि पूर्व में उपजिलधिकारी महोदय द्वारा धरना प्रदर्शन हेतु गांधी पार्क स्थल को चिन्हित किया गया था। औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भी कार्यवाही गतिमान है जिस पर जिला प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की गई।	बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय में लम्बित याचिका के निस्तारण पर मिलने वाले निर्देशों का सभी अनुपालन करेंगे।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये। **2–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 5898 दिनॉक 06.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संबंध में औद्योगिक इकाइयों को अवगत कराया गया है कि वह अपनी इकाई में कार्मिकों/मिकों की समस्याओं के सुचारू निष्पादन हेतु प्रत्येक माह में एक बैठक का आयोजन करें एवं कार्मिकों/श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। **3–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल,** काशीपुर द्वारा अपने पत्र 520 दिनॉक 16.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल काशीपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होता है न ही उक्त विषय में किसी इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल काशीपुर का अवगत कराया गया है ।
27	**पन्तनगर से रूद्रपुर के माध्यम राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में**	टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि श्री अशोक रंजन द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि पन्तनगर–रूद्रपुर मार्ग पर बन रहे फ्लाई ओवर पर हल्द्वानी मोड़ के पास मिट्टी के कट्टों के द्वारा डाइवर्जन बनाया गया है, जिन पर कोई भी रिफलेक्टर नहीं लगा है न ही कोई बार्ड लगाया गया है। जिससे रात्रि के समय दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई है।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त बिन्दु पर प्रबन्धक एन0एच0ए0आई0 प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अद्यतन स्थिति से अवगत कराये।
28	**एन0एच0 74 एवं 87 के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध मे**	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई है। अतः उक्त कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना चाहिये।	बैठक में प्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि उक्त दोनों मार्गों पर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाये ताकि स–समय कार्य पूर्ण किया जा सके।	प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अद्यतन स्थिति से अवगत कराये।
29	**अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से**			